UPAD010023322008

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या 02 प्रयागराज।

उपस्थित– श्रीमती अनुराधा पुण्डीर, ... उच्चतर न्यायिक सेवा

सत्र परीक्षण संख्या–335 सन् 2008

कम्प्यूटरीकृत सेशन्स ट्रायल नं. 2500335 / 2008

उत्तर प्रदेश राज्य

......................अभियोगी

बनाम

1. प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी
2. सिद्धनारायण त्रिपाठी
3. रूद्रनारायण त्रिपाठी

पुत्रगण स्व0 शम्भूनाथ त्रिपाठी, निवासीगण सोहबतियाबाग, थाना जार्जटाउन, इलाहाबाद।

4. संतोष ठेकेदार पुत्र पुरूषोत्तम निवासी सोहबतियाबाग, थाना जार्जटाउन, इलाहाबाद।

......................अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या 230ए / 1986

अन्तर्गत धारा 148, 307 / 149 भा0दं0सं0

थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज

<u>संक्षित विवरण</u>

1.	अपराध संख्या	230ए / 1986
2.	अन्तर्गत धारा	148, 307 / 149 भा.दं.सं.
3.	थाना	कर्नलगंज
4.	जनपद	प्रयागराज
5.	नाम अभियुक्तगण	1. प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी 2. सिद्ध नारायण त्रिपाठी 3. रूद्रनारायण त्रिपाठी 4. संतोष ठेकेदार
6.	नाम वादी मुकदमा	बृजेश कुमार मिश्रा
7.	अपराध की तिथि	28.02.1986
8.	अपराध का समय	6 बजे शाम

9.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	28.02.1986
10.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का समय	20.15 बजे
11.	प्रसंज्ञान की तिथि	22.05.1986
12.	सत्र सुपुदर्गी का दिनांक	01.04.2008
12.	आरोप विरचन की तिथि	21.06.2008
13.	बयान 313 दं0प्र0सं0 अंकन की तिथि	25.08.2025
14.	बहस सुनने की तिथि	23.07.2026
15.	निर्णय पारित करने की तिथि	07.08.2026
16.	निर्णय का निष्कर्ष	अभियुक्तगण प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149, धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं।

उपस्थित –

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ) .... श्री राज कुमार सिंह

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सभाकर तिवारी एडवोकेट व अन्य

निर्णय

1. थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 230ए/1986 अन्तर्गत धारा 148, 307/149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–6 के आधार पर अभियुक्तगण प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा बृजेश कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 28.02.1986 को समय 20.15 बजे थाना कर्नलगंज में इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 दी गयी कि ''...आज दिनांक 28.02.1986 को सायं लगभग 06 बजे मैं अपने मामा श्री आम प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 श्री गोकुल प्रसाद तिवारी, निवासी वादीपुर थाना मऊआईमा के साथ अपने पिता

जी के मित्र श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डे, जो कि अल्लापुर में रहते हैं, के यहां जा रहा था। जैसे ही हम हासिमपुर के चौराहे के पास अल्लापुर के डाट के पुल के पहले पहुंचे थे कि तभी एलनगंज की ओर से आने वाली सड़क से एक मोटर साईकिल एवं दो स्कूटर पर सवार कुछ लोग जिनमें प्रसिद्ध नारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्र नारायण त्रिपाठी पुत्रगण शम्भू नाथ त्रिपाठी निवासी सोहबतियाबाग और सतीश पुत्र श्री पुरूषोत्तम पासी ठेकेदार निवासी सोहबतियाबाग एवं कुछ अन्य लोग जिन्हे मैं नहीं जानता हूँ, आये। इन सबको सामने देखकर पहचान सकता हूँ। मोटर साईकिल पर बन्दूक एक नाली सिद्ध नारायण त्रिपाठी पीछे बैठे थे। मोटरसाईकिल के आगे बढ़ते ही मुझे देखने पर पीछे स्कूटर पर आ रहे रूद्र नारायण त्रिपाठी उर्फ ननकउ ने स्कूटर रोकर मुझे पकड़कर मारने लगे कि मैं झटका देकर अलग हुआ तथा शोर मचाने लगा, तभी मोटरसाईकिल मोड कर सिद्ध नारायण त्रिपाठी और उसके साथी भी आ गये तथा मुझे देखते ही बोले कि मार दो सारे लो निपट लेंगे, जिसपर मैं जान बचाने के लिए भागा कि रूद्र नारायण त्रिपाठी ने मेरे उपर जान से मारने की नीयत से बम फेंका, जो मेरे पास ही आकर फट गया। किसी तरह से मैं बाल–बाल बचा हुआ जान बचाकर भागकर आया हूँ। ये सभी गुण्डे एवं बदमाश किश्म के है, इनसे मेरी जान माल को खतरा है।...''

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गई उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 28.02.1986 को समय 20.15 बजे मुकदमा अपराध संख्या 230ए/1986 अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 भा0दं0सं0 थाना कर्नलगंज, जिला इलाहाबाद/प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 पंजीकृत की गयी।

4. प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक श्री आर0एल0 पाण्डेय द्वारा की गयी। मामले के घायल/चोटहिल बृजेश कुमार मिश्रा का चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 01.03.1986 को किया गया।

5. विवेचक द्वारा घटना स्थल पर जाकर वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया तथा साक्षियों के बयान अंकित किये गये, विवेचना पूर्ण करते हुये संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–6 अन्तर्गत धारा

147, 148, 307 भा0दं0सं0 विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर तत्कालीन विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा दिनांक 22.05.1986 को प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुये अभियोजन प्रपत्रों की नकलें उपलब्ध करायी गयी तथा विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2008 द्वारा मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया।

6. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या 27, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.06.2008 को अभियुक्तगण प्रसिद्ध नारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार के विरूद्व धारा 148, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा लगाये गये आरोपों में दोषी नहीं होने का अभिवाक किया गया तथा परीक्षण की याचना की गयी।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्व विरचित आरोपों को सिद्ध करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं :-

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

कम सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
1	पी0डब्लू0 1	आनन्द किशोर	चक्षुदर्शी साक्षी
2	पी0डब्लू0 2	ओम प्रकाश तिवारी	चक्षुदर्शी साक्षी
3	पी0डब्लू0 3	हरि नारायण दुबे	चक्षुदर्शी साक्षी
4	पी0डब्लू0 4	बृजेश कुमार मिश्रा	वादी मुकदमा/चोटहिल
5	पी0डब्लू0 5	मनोज कुमार शुक्ला	विशेषज्ञ साक्षी

<u>प्रलेखीय साक्ष्य</u>

कम सं.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श संख्या**	**किस साक्षी द्वारा साबित किया गया**
1	तहरीर	प्रदर्श क-1	पी0डब्लू0 4 द्वारा
2	आघात आख्या	प्रदर्श क-2	पी0डब्लू0 5 द्वारा

3	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–3	बचाव पक्ष द्वारा औपचारिका स्वीकार की गयी।
4.	नकल रपट नं. 60	प्रदर्श क–4	बचाव पक्ष द्वारा औपचारिका स्वीकार की गयी।
5	नकल रपट नं. 36	प्रदर्श क–5	बचाव पक्ष द्वारा औपचारिका स्वीकार की गयी।
6	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6	बचाव पक्ष द्वारा औपचारिका स्वीकार की गयी।

अभियोजन की ओर से उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियोजन कथानक के संबंध में दिनांक 28.02.1986 को उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं मारने पीटने और न ही कोई बम आदि फेंकने का कथन करते हुये पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2, पी0डब्लू0 3 के बयानों के संबंध में कुछ नहीं कहा है और पी0डब्लू0 4 के बयान के संबंध में वादी मुकदमा से जान–पहचान नहीं होने और न ही उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक कार्य किये जाने का कथन किया है। पी0डब्लू0 5 के बयान के संबंध में अभियुक्तगण ने आघात आख्या की जानकारी होने से इंकार किया है तथा प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया है, परन्तु ऐसा कोई अपराध कारित करने से इंकार किया है। अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में अभियुक्तगण ने यह भी कथन प्रस्तुत किया है कि उनके विरूद्ध मुकदमा चलने की जानकारी उन्हे नहीं है, उन्हे कोई सफाई साक्ष्य नहीं देना है और स्वयं को निर्दोष बताया है।

9. अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य, कोई मौखिक साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 1 आनन्द किशोर, चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में सशपथ

कथन किया गया है कि ''....घटना दिनांक 28.02.1986 की जो कही गई है, उस घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं उस मोहल्ले का 2007 से 2012 तक सभासद रहा। मैं बृजेश कुमार मिश्रा को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ। घटना कितने बजे घटी थी, मुझे कोई जानकारी नहीं है।...''

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 2 ओम प्रकाश तिवारी, जो कि मामले का चक्षुदर्शी साक्षी कहा जाता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में सशपथ कथन किया है कि ''...घटना कब की है, मुझे याद नहीं है। घटना में क्या हुआ था, वह भी मुझे याद नहीं है। घटना कितने बजे की है, मुझे पता नहीं है। घटना में किसे किस चीज से चोटें लगी थी, मुझे पता नहीं है। किसने किस को किस चीज से मारा था, मुझे पता नहीं है। घटना कहां पर घटी थी, मैं सर्विस में था, इसलिए मुझे पता नहीं है।...''

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 3 हरि नारायण दुबे, जो कि मामले का चक्षुदर्शी साक्षी कहा जाता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में सशपथ कथन किया है कि ''...मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन् 2010 में सेवा निवृत्त हो चुका है। इस बात की घटना के बारे में मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लोगों ने व पुलिस ने मेरा नाम अंकित कर बयान अंकित कर दिया है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।...''

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 4 बृजेश कुमार मिश्रा, जो मामले का वादी है, के द्वारा घटना के संबंध में सशपथ बयान देते हुये अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''....दिनांक 28.02.1986 को समय लगभग शाम 6 बजे की है। मैं अपने मामा ओम प्रकाश तिवारी के साथ अपने पिता के मित्र ज्ञान प्रकाश पाण्डेय के यहां जां रहा था, जो अल्लापुर में रहते हैं। जैसे ही हासिमपुर चौराहे के पास डाट पुल के पास पहुंचे तभी डाटपुल से ट्रेन गुजने लगी और चारों तरफ से तमाम लोग आ गये और एक दूसरे की गाड़ियां लोगों से भिड़ गयी। भिड़ जाने से मुझे भी चोटें आयी थी। मुझे किसी ने मारा–पीटा नहीं था। मुझे जो भी चोटें आयी थी, वाहनों से टक्कर होने से आयी थी। मुझे कुल 4 चोटें साधारण रूप से आयी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूंछतांछ नहीं किया था। घटना की तहरीर मेरे

सगे बड़े भाई सुधीर कुमार मिश्र ने लिखकर दिया था, उन्होने क्या लिखा था, तहरीर में मुझे पढ़कर बताया नहीं था और न पढ़ने दिया था। मेरा हस्ताक्षर भर करवा लिया था। सुधीर कुमार मिश्र की मृत्यु आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है। घटना की तहरीर संलग्न कागज संख्या 5क है, जो सुधीर कुमार के लेख में है। उनके भी हस्ताक्षर मौजूद है। तहरीर पर मैं भी अपने हस्ताक्षर की पहचान कर पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।...''

14. अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0 5 मनोज कुमार मिश्रा, फार्मास्टि टी0बी0 सप्रू अस्पताल प्रयागराज को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने आघात आख्या के संबंध में शपथपत्र साक्ष्य देते हुये अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''...न्यायालय के आदेश पर मजरूब बृजेश कुमार मिश्रा उम्र 19 वर्ष पुत्र सूर्य नारायण मिश्रा निवासी 115 टैगोर टाउन, थाना टैगोर टाउन इलाहाबाद की आघात आख्या का अभिलेख लेकर न्यायालय में उपस्थित हूँ, जिसमें अभिलेख रजिस्टर संख्या 108 के पेज संख्या 192 पर मजरूब बृजेश कुमार मिश्रा की इंजरी रिपोर्ट अंकित है, जो दिनांक 01.03.1986 को समय 06.30 पी.एम. पर अंकित किया गया है। इंजरी रिपोर्ट को अभिलेख से मिलान किया गया है, हूबहू पाया गया। इंजरी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली कागज संख्या 7अ है, जिसकी पहचान कर पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मिलाकर कर सत्यापन कर छया प्रति संलग्न पत्रावली कर रहा हूँ।....''

15. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामले का वादी मुकदमा अपने मामा के साथ जा रहा था, रास्ते में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा पर जान से मार डालने की नीयत से मारा–पीटा गया तथा बम फेंका गया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और अभियुक्तगण की प्रस्तुत मामले में संलिप्तता/भूमिका कही गयी है। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक पूर्णरूपेण सिद्ध है और अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्तगण

प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार को दोष सिद्ध किया जाये।

16. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन कथानक मिथ्या एवं मनगढन्त है, अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, अपितु मामले के चोटहिल को दुर्घटना में चोटें आयी थी। इसी का लाभ उठा कर वादी ने लोगों के बहकावे में झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मामले के चोटहिल का मेडिकोलीगल परीक्षण करने वाले चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभाष है। मामले की विवेचना पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिस पर विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है, अभियुक्तगण पूर्णतयाः निर्दोष हैं तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध किये जाने के आवश्यक अवयव सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

17. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा उभय पक्ष के तर्को के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

18. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 28.02.1986 को समय करीब 06.00 बजे शाम, स्थान हाशिमपुर चौराहे के पास अल्लापुर डाट के पुल के पहले, थाना कर्नलगंज, प्रयागराज में अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में घातक आयुध बंदूक एवं बम से सज्जित होकर बतौर असलहा उनका प्रयोग करते हुये बलवा कारित किया गया ? क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को स्वेच्छया मार पीट कर साधरण व गम्भीर उपहति कारित किया गया ? तथा क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय व ज्ञानपूर्वक वादी मुकदमा को जान से मार डालने हेतु बम से प्रहार किया

गया ? तथा क्या अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित होता है ?

19. पत्रावली के परिशीलन से अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 28.02.1986 को समय 06.00 बजे शाम चोटहिल बृजेश कुमार मिश्रा को अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया मारपीट कर चोटें पहुंचाइ गई तथा जान से मार डालने की नीयत से बम से प्रहार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया है। इस प्रकरण की प्राथमिकी धारा 147, 148, 307 भा0दं0सं0 के अपराध में पंजीकृत हुई थी। तहरीर प्रदर्श क–1 के रूप में पत्रावली में उपलब्ध, जिसे पी0डब्लू0 4 द्वारा अपने साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। तहरीर प्रदर्श क–1 में वर्णित है कि ''...दिनांक 28.02.1986 को सायं लगभग 06 बजे मैं अपने मामा श्री आम प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 श्री गोकुल प्रसाद तिवारी, निवासी वादीपुर थाना मऊआईमा के साथ अपने पिता जी के मित्र श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डे, जो कि अल्लापुर में रहते हैं, के यहां जा रहा था। जैसे ही हम हासिमपुर के चौराहे के पास अल्लापुर के डाट के पुल के पहले पहुंचे थे कि तभी एलनगंज की ओर से आने वाली सड़क से एक मोटर साईकिल एवं दो स्कूटर पर सवार कुछ लोग जिनमें प्रसिद्ध नारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्र नारायण त्रिपाठी पुत्रगण शम्भू नाथ त्रिपाठी निवासी सोहबतियाबाग और सतीश पुत्र श्री पुरूषोत्तम पासी ठेकेदार निवासी सोहबतियाबाग एवं कुछ अन्य लोग जिन्हे मैं नहीं जानता हूॅ, आये। इन सबको सामने देखकर पहचान सकता हूॅ। मोटर साईकिल पर बन्दूक एक नाली सिद्ध नारायण त्रिपाठी पीछे बैठे थे। मोटरसाईकिल के आगे बढ़ते ही मुझे देखने पर पीछे स्कूटर पर आ रहे रूद्र नारायण त्रिपाठी उर्फ ननकउ ने स्कूटर रोकर मुझे पकड़कर मारने लगे कि मैं झटका देकर अलग हुआ तथा शोर मचाने लगा, तभी मोटरसाईकिल मोड कर सिद्ध नारायण त्रिपाठी और उसके साथी भी आ गये तथा मुझे देखते ही बोले कि मार दो सारे लो निपट लेंगे, जिसपर मैं जान बचाने के लिए भागा कि रूद्र नारायण त्रिपाठी ने मेरे उपर जान से मारने की नीयत से बम फेंका, जो मेरे पास ही आकर फट गया। किसी तरह से मैं बाल–बाल बचा हुआ जान बचाकर भागकर आया हूॅ। ये सभी गुण्डे एवं बदमाश किश्म के है, इनसे मेरी जान माल को खतरा है।....'' न्यायालय के समक्ष प्रकरण का चोटहिल बृजेश कुमार मिश्रा पी0डब्लू0

4 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा उसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि ''...दिनांक 28.02.1986 को समय लगभग शाम 6 बजे की है, मैं अपने मामा ओम प्रकाश तिवारी के साथ अपने पिता के मित्र ज्ञान प्रकाश पाण्डेय के यहां जां रहा था, जो अल्लापुर में रहते हैं। जैसे ही हासिमपुर चौराहे के पास डाट पुल के पास पहुंचे तभी डाटपुल से ट्रेन गुजने लगी और चारों तरफ से तमाम लोग आ गये और एक दूसरे की गाड़ियां लोगों से भिड़ गयी, भिड़ जाने से मुझे भी चोटें आयी थी। मुझे किसी ने मारा–पीटा नहीं था। मुझे जो भी चोटें आयी थी, वाहनों से टक्कर होने से आयी थी। मुझे कुल 4 चोटें साधारण रूप से आयी थी। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूंछतांछ नहीं किया था। घटना की तहरीर मेरे सगे बड़े भाई सुधीर कुमार मिश्र ने लिखकर दिया था, उन्होने क्या लिखा था, तहरीर में मुझे पढ़कर बताया नहीं था और न पढ़ने दिया था। मेरा हस्ताक्षर भर करवा लिया था। सुधीर कुमार मिश्र की मृत्यु आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है। घटना की तहरीर संलग्न कागज संख्या 5क है, जो सुधीर कुमार के लेख में है।...'' इस प्रकार चोटहिल पी0डब्लू0 4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल की हत्या करने के उद्देश्य से घटना में मारपीट कर उन्हे चोटें पहुंचाई गई या अभियुक्तगण द्वारा घातक आयुधों से सज्जित होकर मौके पर कोई बलवा कारित किया गया हो। घटना के चोटहिल पी0डब्लू0 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि मामले के अभियोगी उसके सगे भाई सुधीर कुमार मिश्र थे, जिनकी मृत्यु उसके साक्ष्य देने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है। चोटहिल पी0डब्लू0 4 नें अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर में उल्लिखित कथनों से इंकार किया गया है और स्पष्ट कथन किया गया है कि उसे तहरीर पढ़कर सुनाई नहीं गयी थी, केवल उसका हस्ताक्षर करवाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी0डब्लू0 1 आनन्द किशोर व पी0डब्लू0 3 हरि नारायण दुबे को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में किसी भी जानकारी से इंकार किया है। इसी प्रकार घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0 2 ओम प्रकाश तिवारी, जिसके साथ चोटहिल को घटना स्थल पर जाने का कथन तहरीर में किया गया है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में कुछ भी याद नहीं होने का कथन किया गया है और घटना के समय स्वयं के

सर्विस में होने के कारण घटना के संबंध में जानकारी होने से इंकार किया है। साक्षी पी0डब्लू0 4 चोटहिल के सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में कहीं भी घटना स्थल पर बम से प्रहार होने को कथन नहीं किया गया है, अपितु घटना के समय गाड़ियों के आपस में भिड़ जाने व टक्कर हो जाने के कारण स्वयं को चोट आने का कथन किया है। तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल को मारने पीटने व जान से मार डालने की नीयत से बम से प्रहार करने का कथन किया गया है। चोटहिल पी0डब्लू0 4 द्वारा घटना के सन्दर्भ में किये गये उपरोक्त कथन व तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित घटना का यह विरोधाभाष घटना पर प्राथमिक रूप से सन्देह उत्पन्न करता है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2 व पी0डब्लू0 3 द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ बयान में स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं कहा गया है तथा यह तथ्य उनके द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अभियुक्तों को चोटहिल को मारते–पीटते नहीं देखा गया। इन तीनों ही साक्षीगण की उपस्थिति में घटना स्थल पर अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। उक्त तीनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गयी, परन्तु उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य में ऐसा कोई कथन अभियोजन द्वारा नहीं कहलवाया जा सका है, जिससे अभियोजन कथानक को लेश मात्र भी समर्थन होता हो। तहरीर प्रदर्श क–1 तथा चोटहिल पी0डब्लू0 4 के साक्ष्य के अनुसार चोटहिल के साथ घटना कारित होने के समय चोटहिल के मामा ओम प्रकाश तिवारी, पी0डब्लू0 2 मौके पर थे। परन्तु उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0 2 द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक की सत्यता को सन्देहास्पद बनाता है।

20. इस प्रकरण के चोटहिल के शरीर पर पायी गयी चोटों की प्रकृति का अवलोकन किया जाना भी आवश्यक है। चोटहिल की आघात आख्या पत्रावली में प्रदर्श क–2 के रूप में उपलब्ध है। उपरोक्त आघात आख्या में चोटहिल को 04 चोटें आना वर्णित है, जो साधारण प्रकृति की है और उन्हे कठोर कुन्द आला से कारित किये जाने का उल्लेख है और चोट संख्या 4 को एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया गया है, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से कोई एक्सरे रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत स्वयं चोटहिल साक्षी पी.डब्लू. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना

के दौरान गाड़ियों की टक्कर से स्वयं को चार साधारण प्रकृति की चोट आने का कथन किया गया है। तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल को पकड़कर मारा पीटा गया तथा जान से मार डालने की नीयत से बम से प्रहार किया गया, किन्तु चोटहिल को बम के प्रहार की कोई चोट आघात आख्या प्रदर्श क–2 में वर्णित नहीं है, जो अभियोजन कथानक पर सन्देह उत्पन्न करता है। तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्त सिद्ध नारायण के हांथ में एक नाल बन्दूक होने का कथन किया गया है, किन्तु उक्त बन्दूक का घटना में प्रयोग किये जाने का कथन तहरीर प्रदर्श क–1 में वर्णित नहीं है। सामान्य अनुक्रम में यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है कि कोई हांथ में आयुध लेकर किसी व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से प्रहार करें तथा हांथ में आयुध होने के बावजूद उसका प्रयोग न करें। अभियोजन द्वारा कथित बन्दूक से किसी भी प्रकार से चोटहिल पर प्रहार करने का कोई तथ्य तहरीर प्रदर्श क–1 तथा पी0डब्लू0 4 के साक्ष्य में नहीं किया जाना, सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय बनाता है। अतः उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्रकाश में आता है कि चोटहिल को कारित चोट की प्रकृति तथा अभियोजन द्वारा वर्णित किये गये चोट कारित होने के हथियार एवं कारण के सन्दर्भ में अभियोजन के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष है जिससे अभियोजन कथानक की संदिग्धता बढ़ जाती है।

21. साक्षी पी0डब्लू0 4 बृजेश कुमार मिश्रा चोटहिल का अपने साक्ष्य में कथन है कि ''...जैसे ही हासिमपुर चौराहे के पास डाट पुल के पास पहुंचे तभी डाटपुल से ट्रेन गुजने लगी और चारों तरफ से तमाम लोग आ गये और एक दूसरे की गाड़ियां लोगों से भिड़ गयी। भिड़ जाने से मुझे भी चोटें आयी थी। मुझे किसी ने मारा–पीटा नहीं था। मुझे जो भी चोटें आयी थी, वाहनों से टक्कर होने से आयी थी।...'' इस प्रकार इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि उसे वाहनों की टक्कर से चोटें आयी थी, जो न केवल अभियोजन कथानक के विपरीत है, अपितु पी0डब्लू0 4 के साक्ष्य से भी विरोधाभाषी है।

22. जहां तक बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार किये जाने का प्रश्न है तो जब अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपना कथानक स्थापित करने में समर्थ न रहा हो तब

मात्र सम्पोषक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। औपचारिक साक्ष्य घटना के तथ्यों को साबित करने हेतु सम्पोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होते हैं। जो कि तथ्य के साक्षी द्वारा उसके साक्ष्य में प्रस्तुत कथनों को सम्पोषण हेतु बल प्रदान करते है। प्रस्तुत मामले में स्वयं मामले के चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0 4 बृजेश कुमार मिश्रा, चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2, पी0डब्लू0 3 द्वारा दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक पर गम्भीर सन्देह उत्पन्न कर रहा है। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत मामले में अपने बयानों में अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण अभियोजन कथानक को सदिग्ध व अविश्वसनीय बनता हैं।

23. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन के समस्त साक्ष्यो के परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत तथा परस्पर प्रतिकूल कथन किये गये है। अभियोजन के तथ्य के साक्षियो की घटना स्थल पर उपस्थिति विश्वसनीय नही है। जिस प्रकार के हथियारों का अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किया जाना अभियोजन साक्षीगण द्वारा वर्णित किया गया है, उन हथियारों की चोट, चोटहिल के चिकित्सकीय आख्या में पायी गयी चोटों के अनुरूप होना सम्भाव्य नहीं है। तथ्य के अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट आफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए0आई0आर0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "...It is a cardinal principle of criminal jurisprudence that the guilt of the accused must be proved beyond all reasonable doubt. The burden of proving its case beyond all reasonable doubt lies on the prosecution and it never shifts." माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था मे यह भी अभिमत व्यक्त किया गया है कि "...Another golden thread which runs through the web of the ad&ministration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्रकाश मे आता है कि इस प्रकरण मे अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे वर्णित तथ्य सम्पूर्ण रूप से असंदिग्ध नही है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण

का घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना संदिग्ध है तथा वे विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी के नहीं है। अभियोजन द्वारा घटना का हेतुक सिद्ध नही है। तदनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

24. उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष प्रकाश में आता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित 149, धारा 148 के अन्तर्गत विरचित आरोपों को सभी युक्तियुक्त सन्देह से रहित सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों में सन्देह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

i. अभियुक्तगण प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149, धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किये जाते हैं।

ii. विचारण के दौरान अभियुक्तगण प्रसिद्धनारायण त्रिपाठी, सिद्ध नारायण त्रिपाठी, रूद्रनारायण त्रिपाठी व संतोष ठेकेदार जमानत पर रहे हैं, उनके जमानतनामें तथा बंधनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

iii. द0प्र0सं0 की धारा 437ए के प्राविधानों के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्तगण को मु0 20,000/–, 20,000/– रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) के बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के एक–एक प्रतिभू इस निर्णय से पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 07.08.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया गया।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 07.08.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.08.07 16:48:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court